

**राजस्थान सरकार**  
**प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग**

क्रमांक: प.6(65)प्र.सु./अनु-3/20

जयपुर दिनांक 26.11.2012

आज्ञा

राजस्थान वक्फ विकास परिषद में महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा निम्न सरकारी सदस्यों एवं सदस्य सचिव को मनोनीत करने की स्वीकृत प्रदान की जाती है:-

1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
2.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग	सदस्य
6.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान राज्य बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ	सदस्य
7.	उप शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	सदस्य सचिव

इस समिति का प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग होगा।

**आज्ञा से**  
**Sd/-**  
**(आर.सी.गुप्ता)**  
**शासन उप सचिव**

प्रतिलिपि : निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव .....
5. प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर .....
9. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त सदस्य.....
11. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी .....

**Sd/-**  
**शासन उप सचिव**